न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिघंल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या : 03/101/2019
तारीख दायरा : 04.09.2019

उनवान

1. नेतराम उर्फ पप्पू पुत्र श्री सोमोत्या जाति बैरवा निवासी ग्राम निम्बोला तहसील रैणी जिला अलवर।
2. शारदा देवी पत्नी श्री नेतराम उर्फ पप्पू जाति बैरवा निवासी ग्राम निम्बोला तहसील रैणी जिला अलवर।

.............प्रार्थीगण।

बनाम

1. तहसीलदार महोदय रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

.............अप्रार्थीगण।

(प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट.)
उपस्थित – श्री किशनलाल वर्मा एडवोकेट

न्यायालय द्वारा :–

दिनांक : 15.11.2022

:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या 11 खसरा नम्बर 56/0.95, खाता संख्या 12 खसरा नम्बर 57/0.87, खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 93/0.16, 94/0.19, 95/0.01, 96/0.42, 97/0.16, 98/0.16, 99/0.16 कुल खसरा 7 कुल रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम अमरपुरा तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है जिसका खाता संख्या 11, 12 व 25 में प्रार्थी संख्या 1 का 1/9 व प्रार्थी संख्या 2 का खाता संख्या 11 में 1/9 हिस्सा व खाता संख्या 12 में 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी संख्या 1 अपने पिता सोमोत्या की मृत्यु के समय नाबालिग था जिसका मुँह बोला नाम पप्पू था। प्रार्थी संख्या 1 के परिवार के सदस्य अनपढ व अशिक्षित व्यक्ति है जिन्होने प्रार्थी संख्या 1 का नाम रिकॉर्ड में पप्पू दर्ज करवा दिया जबकि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम नेतराम है जो अन्य सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर लिस्ट, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि में नेतराम दर्ज है एवं प्रार्थी संख्या 1 के बच्चों के शिक्षा सम्बन्धी व अन्य कागजात में पिता का नाम नेतराम दर्ज है। प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पप्पू दर्ज होने के कारण एवं अन्य समस्त दस्तावेजात में नेतराम होने के कारण प्रार्थी संख्या 1 अपनी खातेदारी भूमि एवं खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग करने से वंचित हो रहा है। खाता संख्या 25 की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम आज तक नाबालिग पप्पू ही दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रार्थी बालिग होकर 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है। प्रार्थी सं. 2 शारदा देवी ने खाता संख्या 11 व 12 की आराजी सह खातेदार हरिकिशन से खरीद की

है। हाल जमाबन्दी में उसके पति का नाम पप्पू दर्ज होने के कारण उसे बैयनामा में नेतराम न दर्ज कराकर मजबूरन पप्पू दर्ज करना पडा। अन्य दस्तावेजात में शारदा देवी के पति का नाम नेतराम दर्ज है जिस कारण प्रार्थी संख्या 2 अपनी खरीदशुदा आराजी के सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रही है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में पप्पू के स्थान पर नेतराम दर्ज करना आवश्यक हो गया है। जिस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी खाता संख्या 11 खसरा नम्बर 56/0.95, खाता संख्या 12 खसरा नम्बर 57/0.87, खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 93/0.16, 94/0.19, 95/0.01, 96/0.42, 97/0.16, 98/0.16, 99/0.16 कुल खसरा 7 कुल रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम अमरपुरा तहसील रैणी जिला अलवर में सहवन से दर्ज प्रार्थी संख्या 1 का नाम व प्रार्थी सं. 2 के पति का नाम पप्पू के स्थान पर नेतराम पुत्र सोमोत्या दुरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार रैणी से प्रकरण में तथ्यात्मक रिर्पोट प्राप्त की गई है। तहसीलदार रैणी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074–75 के खाता संख्या 11, 12 भूमि पप्पू पुत्र सोमोत्या व शारदा देवी पत्नि पप्पूराम जाति बैरवा सा0 निम्बोला खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है व खाता संख्या 25 में नाबालिग पप्पू पुत्र सोमोत्या संरक्षक सरपरस्त हरबाई माता खुद हिस्सा 1/9 जाति बैरवा सा0 निबोला खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जो मुताबिक प्रार्थना पत्र के गलत है। मुताबिक प्रार्थना पत्र खातेदारी का सही नाम नेतराम पुत्र सोमोत्य व शारदा पत्नि नेतराम जाति बैरवा है। जिसके साक्ष्य में प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट की छायाप्रति व सरपंच ग्राम पंचायत डेरा की रिपोर्ट संलग्न है मौके पर पूछताछ में भी खातेदारों का सही नाम नेतराम पुत्र सोमोत्या, शारदा देवी पत्नि नेतराम जाति बैरवा होना बताया गया। मुताबिक जांच के प्रार्थी का नाम सही किया जाना उचित है।"

वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज हाल जमाबन्दी सम्वत 2074–2075 खाता संख्या 11, 12 व 25, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वोटर लिस्ट, भामाशाह कार्ड, ग्राम पंचायत डेरा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रैणी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जैसा कि रिपोर्ट तहसीलदार रैणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी के सही होने की पुष्टि की है तथा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी यह तथ्य साबित होता है कि प्रार्थी नेतराम बैरवा ही है। इसप्रकार तहसीलदार रैणी की जॉच रिपोर्ट व प्रार्थी की और से पुष्टि में प्रस्तुत उक्तानुसार दस्तावेज से प्रार्थी सं. 1 का नाम व प्रार्थी संख्या 2 के पति का नाम पप्पू के स्थान पर नेतराम पुत्र सोमोत्या होने की पुर्णरूप से पुष्टि होती है। तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार रैणी को निर्देश दिये जाते है कि हाल आराजी खाता संख्या 11 खसरा नम्बर 56/0.95, खाता संख्या 12 खसरा नम्बर 57/0.87, खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 93/0. 16, 94/0.19, 95/0.01, 96/0.42, 97/0.16, 98/0.16, 99/0.16 कुल खसरा 7 कुल

रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम अमरपुरा तहसील रैणी जिला अलवर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सं. 1 का नाम व प्रार्थी संख्या 2 के पति का नाम पप्पू के स्थान पर नतराम पुत्र सामान्या दर्ज किया जावे। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को भिजवायी जावे। शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)